न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 33/2026

श्री गजानन्द शर्मा निवासी संग्रामपुरा, चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज. पिन 304021 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 06.05.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

यह आवेदन राजस्थान, जिला—टोंक, तहसील निवाई, RI—निवाई (3068), हल्का—चैनपुरा (12177) ग्राम—संग्रामपुरा (62467), के खसरा नंबर 51/14 (वर्ष 16.02.1983 के खसरा नंबर 51/1/2 रकबा 17 बिस्वा.) व 51/13 के संबंध में है। कृपया निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि में प्रदान करें—

1. खसरा नंबर 51/14 (वर्ष 16.02.1983 के खसरा नंबर 51/1/2 रकबा 17 बिस्वा.) का वर्ष 16.02.1983, 1990, 2010 एवं 2020 के चारों तरफ के खसरा नंबर अंकित राजस्व मानचित्र (Tracing map) की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करें।
2. वर्तमान खसरा नंबर 51/13 का वर्ष 1983, 1990, 2010 एवं 2020 के चारों तरफ के खसरा नंबर अंकित राजस्व मानचित्र (Tracing map) की प्रमाणित प्रतियों प्रदान करें।
3. खसरा नंबर 51/13 को राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान जगह पर दर्ज करने से संबंधित पूर्ण पत्रावली एवं उस समय के उत्तरदायी लोक सेवकों (पटवारी / राजस्व निरीक्षक आदि) के नाम व पदनाम की सूची प्रदान करें।
4. खसरा नंबर 51/14 (वर्ष 16.02.1983 के खसरा नंबर 51/1/2 रकबा 17 बिस्वा.) वर्ष 16.02.1982 से वर्तमान तक का संपूर्ण राजस्व रिकार्ड की प्रत्रावली प्रदान करें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 538 दिनांक 19.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 136 दिनांक 07.04.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई से होने से उनके पत्र कमांक 114 दिनांक 10.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 115 दिनांक 10.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को पत्र कमांक 717 दिनांक 09.04.2026 व 802 दिनांक 21.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की

जिला कलेक्टर
टोंक

गई। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक